

23/8/22

पत्रावली पेश हुई। वादिनी वकील अयु०।  
न्यायालय समय में वादिनी वकील व वादिनी को 2002  
का तीन बार आवाज लगाई गई। न तो वादिनी वकील  
उप०। न ही वादिनी उप०। अतः वादिनी का तद  
अदम करी अदम काफ़री में ख़ारीज किया जाता है।

पत्रावली कैमल शुभाट कोकर पारिवल  
दस्ता को। संख्या नं कात को।

*Abhishek*

